30/21 किशोर कुमार - मालीराम

दिनांक	आज्ञा पत्र
1.7.24	पत्रावली पेश। कहीन उभय पक्ष उप तदत का रिकार्ड जावे। वास्ते बहस दिनांक 22.7.24 को पेश हो भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
22.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/24 को पेश हो भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5/8/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 30 / 2021

1 किशोर कुमार पुत्र स्व. श्री सांवलराम
2 पुरूषोतम पुत्र स्व. श्री सांवलराम
3 रमेश पुत्र स्व. श्री सांवलराम
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मालीराम पुत्र श्री भूराराम जाति कुमावत निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
2 उप पंजीयक दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 पटवारी, पटवार हल्का पंचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार महोदय, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर आदेश दिनांकित 01.03.2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बउनवानी मालीराम बनाम रूकमणी आदि प्रार्थना पत्र संख्या 94 / 2012

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति :

1. श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुकेश कुमार कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 94/2012 में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 एक आवेदन धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 1163, 1199, 1200, 1202 वाके ग्राम पचार का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत यह कथन वर्णित किया गया कि वादग्रस्त खसरा की भूमियां जिसका मूल रूप से खसरा नम्बर 387 रकबा 62 बीघा 05 बिस्वा से ही नये खसरा नम्बर 1163, 1199, 1200 व 1202 कायम किये गये है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद के अन्तर्गत केवल मात्र 1/4 के सहखातेदार काश्तकार अपीलान्ट को ही पक्षकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा संयोजित कर वाद एवं आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया तथा भूमियों पर कदीम से अपने पिता व दादा के समय से कब्जा काश्त होने का कथन किया गया। जिसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। इस बाबत अपीलान्ट के द्वारा अपने जवाब में समुचित आपत्ति करने के बावजूद कि उक्त भूमियों के अन्तर्गत खसरा नम्बर 387 के सभी खातेदार, काश्तकार प्रकरण में आवश्यक पक्ष्झकार की संज्ञा में आते है, कि आपत्ति को अमान्य करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों को तवज्जो देते हुये अविधि रूप से उसके आवेदन 212 आर.टी.एक्ट. को स्वीकार कर अपीलान्ट को गलत रूप से भूमियों के उपयोग–उपभोग में बाधा पहूँचाते हुये उनको प्रतिबन्धित किया गया है रिकार्ड व मौका की यथास्थिति का आदेश दिया गया है। विचारण न्यायालय के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन व जवाब आवेदन के पश्चात न्यायालय को प्रथम दृष्टया प्रकरण की विवेचना करते समय यह मुख्य रूप से देखना होता है कि न्यायालय के समक्ष कौन व्यक्ति सदभाविक रूप से उपस्थित हुआ है तथा उसके द्वारा ऐसा कोई प्रश्न खड़ा किया गया है, जिसका समुचित निर्णय साक्ष्य के उपरान्त किया जाना आवश्यक है, किन्तु विचारण न्यायालय के द्वारा प्रथम दृष्टया मामले का विश्लेषण करने में गलत रूप से यह निष्कर्ष दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी के पूर्वज उपकृषक रहे है, किन्तु किसी भी प्रकार से दस्तावेज व गिरदावरियों का उल्लेख नहीं किया गया कि कौनसे साल–सम्वत की गिरदावरियों में ऐसा वर्णन किया गया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुचने का कोई विश्लेषणात्मक वर्णन नहीं किया गया कि मूल खसरा नम्बर 387 रकबा 62 बीघा 05 बिस्वा की भूमि जब एक ही खसरे के अन्तर्गत थी तो फिर अकेले अपीलान्ट के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने तथा उन्हीं के हिस्सा विशेष की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी का कब्जा काश्त का आधार किस रूप में मान्य किया गया है। ऐसा कोई निष्कर्ष वर्णन नहीं करके अस्पष्ट रूप से न्यायालय के द्वारा प्रथम दृष्टया केस का निर्णय करते समय न्यायिक विवके का उपयोग नहीं किया गया तथा केवल मात्र कयास के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अभिवचनों को गलत रूप से मनमर्जी मुताबिक मान्य करते हुये निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया था कि मूल खसरा नम्बर 387 के अन्तर्गत 1/2 हिस्से के खातेदार किशनलाल पुत्र श्री चतरूभुज तथा 1/2 हिस्से के अन्तर्गत बालचन्द, सांवलराम पुत्रगण आनन्दीलाल है जिस आधार पर अपीलान्ट जो सांवलराम के वंशज है, जिनका भूमियों में 1/4 हिस्सा है, जिनका सम्वत 2011 से 2027 तक की खतौनी बंदोबस्त के अन्तर्गत समुचित नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा सांवलराम की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट व उनकी माता का नाम रिकार्ड में दर्ज किया गया। उक्त समुचित कार्यवाही में कभी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अथवा उनके पिता व दादा के द्वारा अपने जीवनकाल में आपत्ति नहीं की गयी तो किस प्रकार रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अजनबी व्यक्ति के द्वारा खातेदारी उद्घोषणा का वाद का आवेदन कानूनी रूप से चलने योग्य है तथा वह किस प्रकार से रिकॉर्डेड खातेदार को उसी भूमियों के उपयोग–उपभोग से वंचित करने का कुप्रयास रखता है। इस स्थिति के होते हुये भी विचारण न्यायालय के द्वारा प्रथम दृष्टया मामले का विवेचन गलत रूप से करके रिकार्डेड खातेदार को उसकी भूमियों के उपयोग–उपभोग में बाधा डालने का कार्य किया है जो निर्णय किसी भी अनुरूप स्थित रहने योग्य नहीं वरन खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण के पूर्वज उपकृषक रहे है तथा पूर्व की गिरदावरियों में प्रार्थी के पूर्वज स्व भैरूराम का नाम अंकन है। प्रार्थी का विवादित भूमियों में हित निहित है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है क्योंकि प्रार्थी के पूर्वज उपकृषक रहे है तथा पूर्व की गिरदावरियों से स्पष्ट है कि प्रार्थी का विवादित भूमियों में कब्जा काश्त रहा है। विवादित भूमियों का मूलवाद के निस्तारण तक यदि बेचान,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हस्तांतरण तथा मौका स्थिति आदि में परिवर्तन होता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हितो का निर्धारण मूलवाद में तय होना है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का बिन्दुवार विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पूर्वज उपकृषक रहे है तथा पूर्व की गिरदावरियों में प्रार्थी के पूर्वज स्व भैरूराम का नाम अंकन है। प्रार्थी का विवादित भूमियों में हित निहित है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है क्योंकि प्रार्थी के पूर्वज उपकृषक रहे है तथा पूर्व की गिरदावरियों से स्पष्ट है कि प्रार्थी का विवादित भूमियों में कब्जा काश्त रहा है। विवादित भूमियों का मूलवाद के निस्तारण तक यदि बेचान, हस्तांतरण तथा मौका स्थिति आदि में परिवर्तन होता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हितो का निर्धारण मूलवाद में तय होना है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का बिन्दुवार विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

Scanned with OKEN Scanner